महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-03/2026/142/90-सं0शि0प0का0/2026-38(नियम)/2026

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक- 07 मई, 2026**

विषय- मा0 संसद-सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकॉल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन।

महोदया/ महोदय,

मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकॉल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन तथा उनके फोन कॉल का प्रत्युत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गए पार्श्वांकित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

1- 555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-18 अक्टूबर, 2017,
2- 05/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-16 अक्टूबर, 2018,
3- 02/2019/1155/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-22 अक्टूबर 2019,
4- 03/2019/1285/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-20 नवम्बर, 2019,
5- 02/2021/311/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-23 मार्च, 2021,
6- 06/2021/1365/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-11 नवम्बर, 2021,
7- 02/2022/539/90-सं0शि0प0का0/2022-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-14 जून, 2022,
8- 02/2023/200/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-03 फरवरी, 2023,
9- 05/2023/700/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-27 अप्रैल, 2023
10- 06/2023/1075/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015,दिनांक 04 अगस्त,2023
11-07/2023/1090/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-08 अगस्त, 2023,
12-08/2023/1370/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-03 अक्टूबर 2023
13- 01/2024/25/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-05 जनवरी, 2024,
14- 02/2025/190/90-सं0शि0प0का0/2025-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-28 मई, 2025,
15 -01/2026/117/90-सं0शि0प0का0/2026-02(सं0शि0)/2015,दिनांक-11 फरवरी, 2026

2- इन शासनादेशों के माध्यम से प्रश्नगत विषय में स्वत: स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत होने के उपरान्त भी मा0 सदस्यों के प्रोटोकॉल का अनुपालन न किए जाने तथा उनका फोन न उठाए जाने की सूचनाएं निरन्तर प्राप्त हो रही हैं तथा मा0 सदस्यों द्वारा इससे सम्बन्धित प्रकरण मा0 सदन/ पीठ तथा मा0 संसदीय अनुश्रवण समिति के समक्ष भी निरन्तर उठाए जा रहे हैं, जिससे यह परिलक्षित हो रहा है कि कतिपय अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त शासनादेशों का कडाई से अनुपालन न करते हुए प्रोटोकॉल सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त शासनादेशों के माध्यम से मा0 संसद-सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकॉल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने तथा उनके सी0यू0जी0 नम्बर अथवा उनके द्वारा नोट कराये गये अन्य मोबाइल नम्बर को अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में सेव (Save)/ संरक्षित करने तथा उनकी कॉल आने पर उसे रिसीव (Receive) करने के साथ ही मा0 सदस्य की कॉल आने के समय संबंधित अधिकारी के बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर मा0 जनप्रतिनिधि को मैसेज के साथ ही यथाशीघ्र कॉल बैक करने तथा मा0 सदस्यों के फोन कॉल पर प्राप्त प्रकरणों को यथासम्भव गुणवत्तापूर्वक निस्तारित कराते हुए उन्हें अवगत कराए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत हैं।

4- उक्त शासनादेशों में यह निर्देश भी दिये गए हैं कि संसद/ राज्य विधान-मण्डल के माननीय सदस्यगण जनहित से जुड़े कार्यों के सम्बन्ध में यदि अधिकारियों/ कर्मचारियों से भेंट करते हैं, तो अपनी सीट से खड़े होकर उनका यथोचित स्वागत/ सम्मान किया जाएगा तथा उनसे सम्मानपूर्वक जल ग्रहण हेतु आग्रह किया जाएगा। मा0 सदस्यों से वार्ता करते समय अधिकारियों द्वारा उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर यथासम्भव समस्या का समाधान किया जाएगा। अधिकारियों से यह भी अपेक्षित होगा कि वह माननीय सदस्यों को सम्मानपूर्वक विदा करेंगे।

मा0 जनप्रतिनिधि, जो कि 'सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडैंस' में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का उल्लंघन **उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956** के नियम-3(2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

नियम-3(2) "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत्त विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।"

"सरकारी सेवक का कोई भी अनुचित व्यवहार, जानबूझकर की गई गलती, आचरण के मानक नियमों का जानबूझकर किया गया उल्लंघन दुराचरण समझा/ माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3(2) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपरोक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के संज्ञान में लाते हुये पार्श्वांकित शासनादेशों में निहित आदेशों/ निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए

कृ0पृ0-3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाने के साथ ही मा0 सदस्यों के संदर्भ में निर्गत किये गए आदेशों का अनुपालन न करने पर सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कठोर अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो।

कृपया उक्त आदेशों/ निर्देशों का प्रत्येक दशा में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

एस0पी0 गोयल,

मुख्य सचिव।

संख्या-03/2026/142/90-सं0शि0प0का0/2026-38(नियम)/2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, माननीय सभापति, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
8- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह-II

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।